

रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस०एस०पी०/एल०-डब्लू०/एन०पी०-91/2014-16

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 16 सितम्बर, 2016

भाद्रपद 25, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1

संख्या 1404/79-वि-1-16—1(क)31-2016 लखनऊ, 16 सितम्बर, 2016

<u>अधिसूचना</u> विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पर दिनांक 14 सितम्बर, 2016 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ] एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के संड्सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

- 1—(1) यह अधिनियम एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 संक्षिप्त नाम और कहा जाएगा।
 - (2) यह 12 जनवरी, 2005 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11, सन् 2005 के दीर्घ शीर्षक का संशोधन

2—एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के दीर्घ शीर्षक में शब्द "गौतमबुद्धनगर में" के स्थान पर शब्द "गौतमबुद्धनगर में गौतमबुद्धनगर के मुख्य परिसर के साथ लखनऊ में इसके संघटक इकाई/परिसर में" रख दिये जायेंगे।

धारा–3 का संशोधन 3-मूल अधिनियम की धारा-3 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप धाराएं रख दी जायेंगी, अर्थात् :-

"(1) गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश में फाउंडेशन द्वारा लखनऊ स्थित संघटक इकाई/परिसर सहित एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के नाम से एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी।

(1—क) एमिटी विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 के प्रारम्म होने के दिनांक को राज्य के भीतर फाउंडेशन द्वारा स्थापित एवं प्रशासित संस्थायें और परिसर, एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के संघटक इकाई/परिसर समझे जायेंगे।"

धारा–7 का संशोधन 4-मूल अधिनियम की धारा-7 में, खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात:-

"(त्रञ) विश्वविद्यालय के उद्देश्यों की प्राप्ति के प्रयोजनार्थ संघटक इकाई / परिसरों, ऑफ कैम्पसों, ऑफशोर कैम्पसों, वर्चुअल कैम्पसों आदि की स्थापना करना :"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर में एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश के नाम से एक अध्यापन विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2005 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 2005) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व लखनऊ में पहले से ही स्थित उक्त विश्वविद्यालय का एक परिसर, उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के दिनांक से उक्त विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन रहा है। व्यापक जनहित में और लखनऊ स्थित परिसर में अध्ययनरत छात्रों के हित में यह घोषणा करते हुए व्यवस्था करने का विनिश्चय किया गया है कि लखनऊ स्थित उक्त परिसर को उक्त विश्वविद्यालय का संघटक इकाई/परिसर समझा जायेगा। यह भी विनिश्चय किया गया है कि उक्त विश्वविद्यालय के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु संघटक इकाई/परिसरों, आफ कैंपसों, आफशोर कैंपसों, वर्चुअल कैंपसों आदि की स्थापना करने के लिए उक्त विश्वविद्यालय को अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की जाय।

तदनुसार एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से, रंगनाथ पाण्डेय, प्रमुख सचिव।

No. 1404(2)/LXXIX-V-1-16-1(ka)31-2016 Dated Lucknow, September 16, 2016

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Amity Vishwavidyalaya, Uttar Pradesh (Sansaodhan) Adhiniyam, 2016 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 25 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on September 14, 2016.

THE AMITY UNIVERSITY UTTAR PRADESH (AMENDMENT) ACT, 2016

(U.P. Act No. 25 of 2016)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

to amend the Amity University Uttar Pradesh Act, 2005.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Amity University Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2016.

Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on January 12, 2005.

Amendment of long title of U.P. Act no. 11 of 2005 2. In the long title of the Amity University Uttar Pradesh Act, 2005, hereinafter referred to as the principle Act, for the words "at Gautam Buddha Nagar" the words "at Gautam Buddha Nagar with the main campus at Gautam Buddha Nagar and with constituent unit/campus at Lucknow" shall be *substituted*.

Amendment of section 3

- 3. In section 3 of the principal Act for sub-section (1) the following sub-sections shall be *substituted*, namely:-
 - "(1) There shall be established a University by the foundation in the name of the Amity University Uttar Pradesh at Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh alongwith its constituent unit/campus at Lucknow.
 - (1-A) The institutions and campuses established and administered by the foundation within the State on the date of commencement of the Amity University Uttar Pradesh (Amendment) Act, 2016 shall be deemed to be constituent unit/campus of Amity University Uttar Pradesh."

Amendment of section 7

- 4. In section 7 of the principal Act, after clause (j) the following clause shall be inserted, namely:-
 - "(jj) to establish constituent unit/campuses, off campuses, off shore campuses, virtual campuses etc. for the purpose of achieving the objectives of the University;"

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Amity University Uttar Pradesh Act, 2005 (U.P. Act no. 11 of 2005) has been enacted to establish a teaching University at Gautam Buddha Nagar in Uttar Pradesh by the name of the Amity University Uttar Pradesh. A campus of the said University already situated at Lucknow before the commencement of the said Act has been administered by the authorities of the said University since the commencement of the said Act. It has been decided in the larger public interest and in the interest of the students studying in the campus situated at Lucknow to provide for declaring that the campus situated at Lucknow shall be deemed to be a constituent unit/campus of the said University. It has also been decided to provide for empowering the said University to establish constituent unit/campuses, off campuses, off shore campuses, virtual campuses etc. to achieve the objectives of the said University.

The Amity University Uttar Pradesh (Amendment) Bill, 2016 is introduced accordingly.

By order,
RANG NATH PANDEY,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० ३९६ राजपत्र (हि०)-19-9-2016-(949)-599 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/आफसेट)। पी०एस०यू०पी०-ए०पी० ९० सा० विधायी-19-9-2016-(950)-300 प्रतियाँ (डी०टी०पी०/आफसेट)।



रजिस्ट्रेशन नम्बर-एस॰एस॰पी॰/एल॰ डब्लू॰/एन॰पी॰-91/2014-16 लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट भाग—1, खण्ड (क) (उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 24, अक्टूबर 2016 कार्तिक 2, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1525/79-वि—1–16–1(क)31-2016

लखनऊ, 24 अक्टूबर, 2016

अधिसूचना शुद्धि-पत्र

विधायी अनुभाग-1 की दिनांक 16 सितम्बर, 2016 की अधिसूचना संख्या-1404/79-वि-1-16-1 (क)-31-2016 तथा अधिसूचना संख्या 1404(2)/LXXIX-V-1-16-1(Ka)31-2016 द्वारा उसी दिनांक के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-1, खण्ड (क) में क्रमशः हिन्दी तथा अंग्रेजी में प्रकाशित एमिटी विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2016 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 2016) के अंग्रेजी पाठ की अधिसूचना की द्वितीय पंक्ति में कोष्टक तथा शब्द "(Sansaodhan)" के स्थान पर कोष्टक तथा शब्द "(Sanshodhan)" पढ़ा जाय।

आज्ञा से, वीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव।